

मध्यप्रदेश शासन
गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल, 2020

क्रमांक एफ. 2-1472/2020/दो/सी-2 राज्य शासन द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 53) की धारा 60 के प्रस्तर (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी (संब इंसपेक्टर के पद से अन्यून) को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय-10 की धारा 51 से 59 अंतर्गत पारित किये गये अपराधों के संबंध में अपने अधिकारिता के न्यायालयों में परिवाद दायर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मो. शशिद अबसार)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

क्रमांक एफ. 2-1473/2020/दो/सी-2:

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2020

1. सचिव, भारत सरकार गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली।
 2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन भोपाल।
 3. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल।
 4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 5. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
 6. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय भोपाल।
 7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश भोपाल।
 8. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्राणालय अरेरा हिल्स भोपाल।
 9. संयुक्त संचालक जनसम्पर्क, वल्लभ भवन भोपाल।
 10. संबंधित अधिकारी द्वारा पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

आदेशानुसार

सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग